

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 608]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर 2022—अग्रहायण 9, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2022

क्र. एफ ए 3-22-2021-1-पांच (69).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-22-2021-1-पांच (93), भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2021, अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-22-2021-1-पांच (27), भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2022, अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-22-2021-1-पांच (40), भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-22-2021-1-पांच (61), भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2022 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अंक एवं शब्द "30 नवम्बर 2022" के स्थान पर अंक एवं शब्द "31 जनवरी 2023" प्रतिस्थापित किये जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2022

क्र. एफ ए 3-22-2021-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-22-2021-1-पांच (69), दिनांक 30 नवम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 30th November 2022

No. F A 3-22-2021-1-V-(69).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby makes the following further amendment in this department's Notification No. F A 3-22-2021-1-V-(93), dated 30th December 2021, Notification No. F A 3-22-2021-1-V-(27), dated 27th April 2022, Notification No. F A 3-22-2021-1-V-(40), dated 20th July 2022 and Notification No. F A 3-22-2021-1-V-(61), dated 30th September 2022, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, for the word and figure “30th November, 2022”, the word and figure “31st January 2023”, shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.